अनुदान संख्या 8 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 8–DEPARTMENT OF FERTILISERS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	24543,57,00	43543,57,00	43537,53,26	–6,03,74
पूरक	Supplementary	19000,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,99,03
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		56,68,00	56,63,00	–5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	1141528.00	1665986.17	1665984.00	–2.17
पू.	S.	525000.00			
पु.	R.	–541.83			

(I) 502.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 500.00 लाख रु. अकेले ''उर्वरक उद्योग - अनुसंधान और विकास - 4 विद्यमान एफओ/एलएसएचएस संयंत्रों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित किए जाने के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत प्रस्तावों को मूल्यांकन/स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.502.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.500.00 lakhs alone accounted for under "Fertilizer Industries – Research and Development – Capital Subsidy for Conversion of 4 existing FO/LSHS Plants to NG/LNG" – due to non-appraisal/sanctioning of the proposals.

(II) ''उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक भाड़ा आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अदायगियां'' के अंतर्गत 16586.00 लाख रु. की बचत (200000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूरिया के आयात की अदायगी के लिए सांविधिक देयताओं के निर्वहन के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 76.16 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें ''उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अधीन अदायगियां'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 16586.00 लाख रु. का अधिक व्यय (अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 155000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1095037.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 74.29 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(II) Under "Fertilizer Industries - Fertiliser Subsidy - Payments under Fertilizer Freight Subsidy Scheme" - saving of Rs.16586.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds for discharging statutory liabilities for payment on import of urea.

(III) Under one head saving of Rs.76.16 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under "Fertilizer Industries – Fertiliser Subsidy - payment under Fertilizers Retention Price Scheme" - excess of Rs.16586.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1095037.00 lakhs including supplementary grant of Rs.155000.00 lakhs obtained in August, 2007 and March, 2008) was due to payment of subsidy for Nitrogenous Fertilizers.

(II) Under one head excess of Rs.74.29 lakhs occurred constituting 49 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''6552''	Major Head "6552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Loans for North Eastern Areas		449.00	. .	–449.00
मुख्य शीर्ष ''6855'' उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6855" Loans for Fertilizer Industries				
मू.	O.	5219.00	5214.00	5663.00	+449.00
पु.	R.	–5.00			

(I) 651.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "6552" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" - 449.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(क) "भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड" - 101.00 लाख रु.; और

(ख) "पाइराइट्स, फास्फेट्स और रसायन लिमिटेड" - 101.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान एफसीआई, एचएफसी और पीपीसीएल के पुन:प्रवर्तन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड" - 319.00 लाख रु. का अधिक व्यय (101.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम संबंधी प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "ब्रहमपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" - 327.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2516.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "6552" से कार्यात्मक शीर्षों को न किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.651.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads under the following major heads:-

(A) Major Head "6552" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings – Brahamputra Valley Fertilizer Corporation Ltd." – Rs.449.00 lakhs - due to non-re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head"6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings"–

(a) "Fertilizers Corporation of India Limited" - Rs.101.00 lakhs; and

(b) "Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited" - Rs.101.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalization of process of revival of FCI, HFC and PPCL.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings" - under the following heads:-

(A) "Hindustan Fertilizers Corporation Limited" - excess of Rs.319.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.101.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of Voluntary Separation Scheme compensation to the employees of Hindustan Fertilizers Corporation Limited.

(B) "Brahamputra Valley Fertilizers Corporation Limited" - excess of Rs.327.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2516.00 lakhs) was due to non-reappropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilisation on schemes for North Eastern Region and Sikkim.